रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 242] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 14, 1993/आषाढ़ 23, 1915
No. 242] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 14, 1993/ASADHA 23, 1915

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1993

सा.का.नि. 510(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 641 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची 13 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में भाग 1 से 3 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित भाग और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

भाग 1

नियुक्तियां

कोई व्यक्ति किसी कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक या पूर्ण-कालिक निदेशक या प्रबन्धक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है, अर्थात् :—

(क) वह निम्नलिखित अधिनियमों में से किसी के अधीन किसी अपराध को दोषसिद्धि के लिए किसी अवधि के कारावास से या एक हजार रुपए से अधिक के जुर्माने से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है, अर्थात् :—

(1) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2)

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1)

(3) औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65)

(4) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37)

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10)

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)

(7) धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)

(8) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

(9) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)

(10) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54)

(11) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46)

(12) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22)

(ख) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) के अधीन किसी कालावधि के लिए निरूद्ध नहीं किया गया है :

परन्तु जहां केन्द्रीय सरकार ने, यथास्थिति, उप-पैरा (क) या उप-पैरा (ख) के अधीन दोषसिद्ध या निरूद्ध किए गए किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संबंध में अपना अनुमोदन दे दिया है, वहां केन्द्रीय सरकार का और अनुमोदन उस व्यक्ति की पश्चात्वर्ती नियुक्ति के लिए आवश्यक नहीं होगा यदि उसे ऐसे अनुमोदन के पश्चात् इस प्रकार दोषसिद्ध या निरूद्ध नहीं किया गया है ।

(ग) उसने पच्चीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है और सत्तर वर्ष की आयु या यदि कम्पनी ने कोई सेवानिवृत्ति की आयु विनिर्दिष्ट की है तो वह आयु, दोनों में से जो भी पूर्वतर हो, पूरी नहीं की है;

(घ) वह किसी अन्य कंपनी में प्रबन्ध-निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबन्धक या किसी फर्म का प्रबन्ध भागीदार नहीं है या कहीं अन्यत्र पूर्णकालिक नियोजन में नहीं है;

(ङ) वह भारत का निवासी है ;

(च) यदि उसे नियुक्त करने वाली कम्पनी रूग्ण कंपनी नहीं है ।

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए रूग्ण कंपनी से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है (जो कम से कम सात वर्ष से रजिस्ट्रीकृत है) जिसे अंतिम वित्तीय वर्ष के अन्त में अपने संपूर्ण शुद्ध मूल्य अर्थात् समादत्त पूंजी और स्वतंत्र आरक्षितिओं के कुल जोड़ के बराबर या उससे अधिक हानि हुई है ।

भाग-2

पारिश्रमिक

धारा 198 और 309 में अधिकथित सीमा के अधीन रहते हुए वेतन या परिलब्धियों या दोनों के रूप में पारिश्रमिक निम्नलिखित सीमाओं से अधिक नहीं होगा, अर्थात् :—

वेतन

6,00,000 रुपये प्रति वर्ष या 50,000 प्रति मास, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित मापमान पर संगणित मंहगाई और सभी अन्य भत्ते भी हैं, अर्थात् :—

| जहां कम्पनी की प्रभावी पूंजी निम्नलिखित है— | देय मासिक वेतन निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा— |
|---|---|
| (1) 1 करोड़ रुपये से कम | 20,000 रुपए |
| (2) 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक किन्तु 5 करोड़ रुपए से कम | 30,000 रुपए |
| (3) 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक किन्तु 15 करोड़ रुपए से कम | 40,000 रुपए |
| (4) 15 करोड़ रुपए या उससे अधिक | 50,000 रुपए |

परिलब्धियां

वेतन के अतिरिक्त परिलब्धियां अनुज्ञात की जा सकेंगी। ये वार्षिक वेतन के बराबर रकम या 4,50,000 रुपए प्रति वर्ष तक, इनमें से जो भी कम हो, निर्बन्धित होंगी। जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो परिलब्धियां 'क', 'ख', और 'ग' तीन प्रवर्गों में निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत की गई हैं, अर्थात् :—

प्रवर्ग 'क'

इसमें मकान किराया भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, क्लबों की फीस और वैयक्तिक दुर्घटना बीमा समाविष्ट होंगे, इनके लिए निम्नलिखित रूप में उपबंधित किया जा सकेगा :—

(1) आवास-1–नियुक्त व्यक्ति के लिए सुसज्जित वास सुविधा किराये पर लेने का कंपनी द्वारा व्यय निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अधीन होगा :—

वेतन का 60 प्रतिशत, जो नियुक्त व्यक्ति द्वारा देय 10 प्रतिशत के अतिरिक्त होगा ।

(2) आवास-2—यदि वास–सुविधा कम्पनी के स्वामित्व में है, तो नियुक्त व्यक्ति के वेतन के 10 प्रतिशत की कटौती कंपनी द्वारा की जाएगी ।

(3) आवास-3–यदि कम्पनी द्वारा किसी वास सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई है तो नियुक्त व्यक्ति आवास-1 में अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए मकान किराया भत्ता की हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण—कम्पनी द्वारा गैस, बिजली, पानी और साजसज्जा पर उपगत व्यय आयकर नियम, 1962 के अनुसार मूल्यांकित किया जाएगा । तथापि यह नियुक्त व्यक्ति के वेतन के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए होगा ।

(2) चिकित्सा आपूर्ति : नियुक्त व्यक्ति और उसके कुटुम्ब के लिए उपगत व्यय एक वर्ष में एक मास के वेतन या तीन वर्ष की अवधि में तीन मास के वेतन की अधिकतम सीमा के अधीन होगा।

(3) छुट्टी यात्रा रियायत : नियुक्त व्यक्ति और उसके कुटुम्ब के लिए एक वर्ष में एक बार, कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट किन्हीं नियमों के अनुसार दी जाएगी।

(4) क्लब फीस : क्लबों की फीस अधिक से अधिक दो क्लबों के लिए होगी। इसके अन्तर्गत प्रवेश तथा आजीवन सदस्यता फीस नहीं होंगी।

(5) वैयक्तिक दुर्घटना बीमा : प्रीमियम 4000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(6) उक्त (1), (2), (3), (4) और (5) पर की परिलब्धियों के अतिरिक्त कोई विदेशी (जिसमें अनिवासी भारतीय भी सम्मिलित हैं) प्रबन्ध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबन्धक भी उन निम्नलिखित परिलब्धियों का पात्र होगा, जो परिलब्धियों की अधिकतम सीमा की संगणना में सम्मिलित नहीं की जाएगी :—

(क) बाल शिक्षा भत्ता : भारत में या भारत क बाहर अध्ययन करने वाले बालकों की दशा में अधिकतम 5000 रुपये प्रति मास प्रति बालक या उपगत वास्तविक व्ययों इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित भत्ता अनुज्ञेय है। ऐसा भत्ता अधिकतम दो बालकों तक अनुज्ञेय है।

(ख) भारत से बाहर अध्ययन करने वाले बालकों/विदेश में रहने वाले कुटुम्ब के लिए अवकाश यात्रा भाड़ा : वापसी अवकाश यात्रा भाड़ा मितव्ययी श्रेणी द्वारा वर्ष में एक बार या प्रथम श्रेणी द्वारा दो वर्षों में एक बार बालकों को विदेश में अध्ययन के उनके स्थान से भारत के लिए और कुटुम्ब के सदस्यों को यदि वे भारत में प्रबन्ध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबन्धक के साथ निवास नहीं कर रहे हैं तो, विदेश में उनके रहने के स्थान से भारत के लिए, अनुज्ञेय है।

(ग) पद भार ग्रहण करने पर और पदावधि पूर्ण करने के पश्चात अपने देश वापस जाने पर उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति : भारत में पद भार ग्रहण करने के लिए यात्रा पर और स्वयं के और कुटुम्ब के लिए वैयक्तिक चीज वस्तु ले जाने के संबंध में पैक करने, आगे भेजने, लदाई तथा उतराई तथा भाड़े, बीमा, सीमाशुल्क, निकासी व्यय, स्थानीय परिवहन और संस्थापन व्ययों पर उपगत वास्तविक व्यय उस दशा में अनुज्ञात किए जा सकेंगे जब उनका पूर्व नियोजक से दावा नहीं किया गया है। पदावधि के पूरा किए जाने के पश्चात् ऐसे व्यय उस दशा में अनुज्ञात किए जा सकेंगे जब विदेशी अंतिम रूप से कम्पनी का नियोजन छोड़ रहा है। उन दशाओं में जहां विदेशी उसी संबंधित बहुराष्ट्रीय कम्पनी की दूसरी शाखा में पद ग्रहण कर रहा है, उस शाखा को, जिसमें उसको अन्तरिक किया गया है, इन व्ययों को वहन करना चाहिए।

(घ) छुट्टी यात्रा रियायत : यदि यह प्रस्ताव किया जाता है कि छुट्टी भारत में किसी स्थान के बजाए अपने देश में व्यतीत की जाए तो वापसी यात्रा भाड़ा कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार उसके स्वयं के लिए और कुटुम्ब के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : प्रवर्ग 'क' के प्रयोजन के लिए कुटुम्ब से पति या पत्नी, नियुक्त व्यक्ति के आश्रित बालक और आश्रित माता पिता अभिप्रेत हैं।

### प्रवर्ग "ख"

1. भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि या वार्षिक निधि में अभिदाय परिलब्धियों पर अधिकतम सीमा की संगणना में उस सीमा तक सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिस तक यह या तो एकल रूप में या एक साथ रखे जाने पर आयकर अधिनियम के अधीन कराधेय नहीं है। संदेय उपदान सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए आधे मास के वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. पदावधि के अन्त में छुट्टी का भुनाना परिलब्धियों पर अधिकतम सीमा की संगणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

### प्रवर्ग "ग"

कम्पनी के कारबार में उपयोग के लिए कार की और निवास स्थान पर टेलीफोन की व्यवस्था को परिलब्धि नहीं समझा जाएगा। टेलीफोन पर लंबी दूरी वाली व्यक्तिगत कालों और प्राइवेट प्रयोजन के लिए कार के उपयोग का बिल कम्पनी द्वारा संबंधित नियुक्त व्यक्ति को दिया जाएगा।

कमीशन :

कमीशन के रूप में पारिश्रमिक वेतन या परिलब्धियों या दोनों के अतिरिक्त या उनके बदले में अनुज्ञात किया जा सकेगा। इसकी रकम, जो किसी विशिष्ट वर्ष में कम्पनी के शुद्ध लाभ पर आधारित होगी, धारा 198 और धारा 309 में अधिकथित संपूर्ण अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए होगी।

इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी वित्तीय वर्ष में प्रबन्ध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या

प्रबन्धक की पदावधि के चालू रहने के दौरान कम्पनी को कोई लाभ नहीं हुआ है या इसके लाभ अपर्याप्त हैं, तो वह इस भाग में विनिर्दिष्ट सीमा से अनधिक वेतन और परिलब्धियों के रूप में उसके पारिश्रमिक का संदाय कर सकेगी।

स्पष्टीकरण : इस भाग के प्रयोजनों के लिए 'प्रभावी पूंजी' से समादत्त शेयर पूंजी (शेयर आवेदन धन या शेयरों के विरुद्ध अग्रिमों का अपवर्जन करके), रकम, यदि कोई हो, जो तत्समय शेयर प्रीमियम खाते में जमा हो; आरक्षितियों और अधिशेष (पुनर्मूल्यांकन आरक्षतियों का उपवर्जन करके); दीर्घकालीन उधारों और एक वर्ष के पश्चात पुनर्संदेय निक्षपों (कार्यकारी पूंजी उधारों, ओवर ड्राफ्टों, उधारों, जब तक कि वे निधिक न हों, पर शोध्य ब्याज, कम्पनी प्रतिभूतियों आदि और अन्य अल्पकालिक ठहरावों का अपवर्जन करते हुए) का जोड़ अभिप्रेत है; जिसमें से किसी विनिधान (सिवाय किसी विनिधान कम्पनी द्वारा, जिसका प्रधान कारबार शेयरों, स्टाक, डिबेन्चरों या अन्य प्रतिभूतियों का अर्जन है, विनिधान की दशा में) संकलित हानियों और प्रारंभिक व्ययों, जो अपलिखित नहीं किए गए हों, का जोड़ घटाया गया हो।

भाग-3

इस अनुसूची के भाग 1 और 2 को लागू उपबन्ध

1. इस अनुसूची के भाग 1 और 2 में निर्दिष्ट नियुक्ति और पारिश्रमिक साधारण अधिवेशन में शेयरधारकों के संकल्प द्वारा अनुमोदन किए जाने के अधीन होंगे।

2. कम्पनी का लेखापरीक्षक या सचिव या जहां कम्पनी के सचिव नियुक्त नहीं किया है, वहां पूर्णकालिक व्यवसाय करने वाला सचिव यह प्रमाणित करेगा कि इस अनुसूची की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है और ऐसा प्रमाणपत्र धारा 269 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्टर के साथ फाइल की गई विवरणी में समाविष्ट होगा।

[सं. 1/4/92-सी.एल.-5]

जयेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

मूल अनुसूची कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988, सा.का.नि. संख्या 559(अ) दिनांक 10-6 88 द्वारा अन्तःस्थापित की गई थी।

उक्त अनुसूची को निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :—

(1) सा.का.नि. 784(अ) तारीख 13-7-1988

(2) सा.का.नि. 723(अ) तारीख 18-9-1990

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 1993

G.S.R. No. 510(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 641 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in Schedule XIII to the said Act, namely :—

In the said Schedule, for Parts I to III and the entries relating thereto, the following Parts and entries shall be sbstituted, namely:—

PART I

APPOINTMENTS

No person shall be eligible for appointment as a managing or whole-time director or a manager of a company unless he satisfies the following conditions, namely :—

(a) he had not been sentenced to imprisonment for any period, or to a fine exceeding one thousand rupees, for the conviction of an offence under any of the following Acts, namely :—

(i) the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899),

(ii) the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944),

(iii) the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

(iv) the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954).

(v) the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955),

(vi) the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

(vii) the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

(viii) the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),

(ix) the Customs Act, 1962 (52 of 1962),

(x) the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969),

(xi) the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973),

(xii) the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992);

(b) he had not been detained for any period under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) :—

Provided that where the Central Government has given its approval to the appointment of a person convicted or detained under sub-paragraph (a) or sub-paragraph (b), as

the case may be, no further approval of the Central Government shall be necessary for the subsequent appointment of that person if he had not been so convicted or detained subsequent to such approval;

(c) he has completed the age of twenty five years and has not attained the age of seventy years or the age of retirement, if any, sepecified by the company, whichever is earlier :

(d) he is not a managing or whole-time director or manager in any other company or a managing partner of a firm, or is not in whole-time employment anywhere else;

(e) he is resident in India ;

(f) if the company appointing him is not a sick company.

Explanation : For the purpose of this Schedule, 'sick company' means a company (being a company registered for not less than seven years) which has, at the end of the last financial year, accumulated losses equal to or exceeding its entire net worth i.e., sum total of the paid-up capital and free reserves.

## PART II

## REMUNERATION

Subject to ceiting limits laid down in Section 198 and Section 309, the remuneration by way of salary or perquisites or both shall not exceed the following limits, namely :—

### SALARY

Rupees 6,00,000 per annumn or Rs. 50,000 per month including dearness and all other allowances calculated in the following scale :—

| Where the effective capital of the company is— | Monthly salary payable shall not exceed— |
|---|---|
| (i) less than rupees 1 crore | rupees 20,000 |
| (ii) rupees 1 crore or more but less than rupees 5 crores. | rupees 30,000 |
| (iii) rupees 5 crores or more but less than rupees 15 crores. | rupees 40,000 |
| (iv) rupees 15 crores or more | rupees 50,000 |

### PERQUISITES

Perquisites may be allowed in addition to salary. These shall be restricted to an amount equal to the annual salary or Rs. 4,50,000 per annum, whichever is less. Unless the context otherwise requires, perquisites are classified into three categories 'A', 'B' and 'C' as follows :



## CATEGORY 'A'

This will comprise house rent allowance, leave travel concession, medical reimbursement, fees on clubs and personal accident insurance. These may be provided for as under :—

(i) Housing I : The expenditure by the company on hiring furnished accommodation for the appointee will be subjected to the following ceiling :—

Sixty per cent of the salary, over and above ten per cent payable by the appointee.

Housing II : In case the accommodation is owned by the company, ten per cent of the salary of the appointee shall be deducted by the company

Housing III : In case no accommodation is provided by the company, the appointed shall be entitled to house rent allowance subject to the ceiling aid down in Housing ;

Explanation : The expenditure incurred by the company on ges. electricity ,water and furnishing shall be valued as per the income-tax Rules. 1962. This shall. however, be subject to a ceiling of ten per cent of the salary of the appointee.

(ii) Medical reimbursement : Expenses incurred for the appointee and the family subject to a ceiling of one month's salary in a year or three month's salary over a period of three years.

(iii) Leave Travel Concession : For the appointee and his family once in a year incurred in accordance with any rules specified by the company.

(iv) Club fees : Fees of clubs subject to a maximam of two clubs. This will not include admission and life membership fee.

(v) Personal accident insurance : Premium not to exceed Rs. 4,000 per annum

(vi) In addition to the perquisites at (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above, an expatriate (including a non-resident Indian) managing or whole-time director or manager shall also be eligible to the following perquisites which shall not be included in the computation of the ceiling on perquisites :

(a) Children's education allowance : In case of children studying in or outside India, an allowance limited to a maximum of 5000 per month per chlid or actual expenses incurred, whichever is less, is admissible. Such allowance is admissible upto a maximum of two children.

(b) Holiday passage for children studying outside India|family studying abroad : Return holiday passage is admissible once in a year by economy class or once in two years by first class to children from their place of study abroad to India and to the members

of the family from the place of their stay abroad to India if they are not residing in India with the managing or whole-time director or manager.

(c) Reimbursement of expenses incurred on joining duty and returning to home country after completion of tenure : Actual expenses incurred on travel and on packing, forwarding, loading or unloading as well as freight, insurance, customs duty, clearing expenses, local transportation and installation expenses in connection with the moving of personal effect for self and family for joining duty in India may be allowed in case these have not been claimed from the previous empolyer. After completion of the tenure such expenses may also be allowed if the expatriates is finally leaving the employment of the company. In cases where the expatriate is joining another branch of the same|related multinational company, the branch to which he is transferred should bear these expenses.

(d) Leave travel concession : In case it is proposed that the leave be spent in home country instead of anywhere in India, return passage may be allowed for self and family in accordance with the rules specified by the company.

Explanation : For the purpose of category 'A', 'family' means the spouse, the dependent children and dependent parents of the appointee.

CATEGORY 'B'

1. Contribution to provident fund, superannuation fund or annuity fund will not be included in the computation of the ceiling on requisites to the extent these either singly or put together are not taxable under the Incom-tax Act, Gratuity payable should not exceed half a month's salary for each completed year of service.

2. Encashment of leave at the end of the tenure will not be included in the computation of the ceiling on perquisites.

CATEGORY 'C'

Provision of car for use on company's business and telephone at residence will not be considered as perquisites. Personal long distance calls on telephone and use of car for private purpose shall be billed by the company to the individual appointee concerned.

COMMISSION

Remuneration by way of commission may also be allowed in addition to salary or perquistes on both or in lieu thereof. The amoant of it, based on the net profits of the company in a particular year, shall be subject to the overall ceilings laid down in section 198 and section 309.

Notwithstanding anything in this Part, where in any financial year, during the currency of tenure of the managing or whole-time director or manager, the company has no profits or its profits are inadequate, it may pay him remuneration by way of salary and perquisites not exceeding the limits specified in this Part.

Explanation : For the purposes of this Part, 'effective capital' means the aggregate of the paid-up share capital (excluding share application money or advances against shares); amount, if any, for the time being standing to the credit of share premium account; reserves and surplus (excluding revaluation reserves), long-term loans and deposits repayable after one year (excluding working capital loans, over-drafts, interest due on loans unless funded, bank guarantee, etc. and other short-term arrangements) as reduced by the aggregate of any investments (except in the case of investments by an investment company whose principal business in the acquisition of shares, stock, debentures or other securities), accumulated losses and preliminary expenses not written off.

PART III

PROVISIONS APPLIACBLE TO PARTS I AND II OF THIS SCHEDULE

1. The appointment and remuneration referred to in Parts I and II of this Schedule shall be subject to approval by a resolution of the shareholders in general meeting.

2. The auditor of the secretary of the company or where the company has not appointed a secretary, a secretary in whole-time practice shall certify that the requirements of this Schedule have been complied with and such certificate shall be incorporated in the return filed with the Registrar under sub-section (2) of section 269.

[No. 1|4|9-21CL. V]

JAINDER SINGH, Jt. Secy.

The principal Schedale was inserted by the Companies (Amendment) Act, 1988 vide GSR No. 559(E) dated 10-6-1988. The above Schedule was amended vide :—

(i) GSR 784(E) dated 13-7-1988.

(ii) GSR 723(E) dated 18-9-1990.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993